# नेक कर्म और नफ़ल इबादतों की तर्गीब

मुहम्मद अज़हर मदनी

अल्लाह के रसूल (पैगम्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

परलय के दिन बन्दे से सबसे पहले नमाज़ के बारे में पूछा जायेगा, अगर उसकी नमाज़ दुरूस्त रही तो बन्दा कामयाब होगा और अगर बन्दे की नमाज़ खराब निकली तो वह बन्दा असफल होगा और अगर उसकी फर्ज़ नमाज़ में कोई कमी हो गी तो अल्लाह तआला फ़रिश्तों से कहेगा कि देखो मेरे इस बन्दे के पास कोई नफल नमाज़ है। उस दिन फर्ज़ नमाज़ में होने वाली कमी को नफल नमाज़ से पूरी कर दी जायेगी फिर इसी तरह से दूसरी इबादतों के बारे में सवाल होगा। (सहीह बुखारी)

इस्लाम में हर इबादत की अहमियत है, सलफ़ के यहां नमाज़ों की अदायगी के एतबार से किसी तरह का अन्तर नहीं था यही वजह है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहो अन्हुम ताबईन और अन्य अइम्मा रहिमहुमुल्लाह इबादत में किसी तरह की कोताही नहीं करते थे। इस हदीस में फर्ज़ नमाज़ की अहमियत के साथ नफल नमाज़ों की प्रेरण और तरगीब दी गई है। हमारे अस्लाफ़ नफ़ल नमाज़ों के साथ साथ सुबह शाम दुआओं का भी एहतमाम करते थे, इस अमल की कई हदीसों में तर्गीब दी गई है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसे यह पसन्द हो कि कठिनाइयों और परेशानियों के वक़्त में अल्लाह तआला उसकी दुआओं को कुबूल करे तो उसे खुश्हाली के हालात में भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तआला से दुआएं मांगते रहना चाहिए। (सुनन तिर्मिज़ी) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ अर्थात आमाल के बारे में न बताऊं जिनसे अल्लाह तआला पाप को खतम कर देता है और (नेक काम करने वालों) के दर्जात को बुलन्द कर देता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम ने कहा! ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नागवारी के बावजूद अच्छी तरह से वुज़ू करना, मस्जिद की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा चल कर जाना, एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इन्तेज़ार करना यही रिबात है। (सहीह मुस्लिम)

एक रिवायत में है कि ''अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः उतने आमाल की पाबन्दी करो जितने आमाल को अदा करने के लिये तुम्हारे अनदर सामर्थ्य है क्योंकि अल्लाह तआला सवाब देने से नहीं उकताता यहां तक कि तुम खुद उकता जाओ और अल्लाह के नजदीक वही नेक अमल ज़्यादा प्रिय है जिस पर बराबर अमल किया जाये चाहे वह कम हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के घर वाले जब कोई अमल करते तो उसे हमेशा करते रहते।'' उपर्युक्त हदीसों में फर्ज़ इबादतों के अलावा नफल इबादतों की तर्गीब व प्रेरण दी गई है, हमें इन नेक कामों और नफ़ल इबादतों में भी कोताही नहीं करनी चाहिये अल्लाह तआला हम सभी को नेक काम को करते रहने की तौफीक़ दे।

मासिक

# इसलाहे समाज

मई 2025 वर्ष 36 अंक 5

ज़िलक़ादा 1446 हिजरी

**संरक्षक**

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

**संपादक**

मुहम्मद ताहिर

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये

**सम्पर्क**



मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613



RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर



लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।


# इस अंक में


1. नेक कर्म और नफ़्ल इबादतों की तर्गीब 02
2. कुछ लोग पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं 04
3. कुरबानी की फज़ीलत, अहकाम व मसाइल 05
4. परहेज़गार बनने का भायदा 10
5. नेक काम लगातार करते रहिये 11
6. क़यामत के दिन पर ईमान 12
7. पवित्र कुरआन में जिन्नों का वर्णन 16
8. मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म 18
9. विनाशकारी घटनाओं के खिलाफ फ़तवा 20
10. माता-पिता तथा प्रशिक्षण 22
11. प्रेस रिलीज़ 25
12. प्रेस रिलीज़ (आतंकी हमले की निन्दा) 26
13. अपील 27
14. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) 28



ईमेल:-

**Jaridahtarjuman@gmail.com**

**Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com**


अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

सम्पादकीय

# कुछ लोग पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं

**मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी**
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि ख़बर में सच और झूठ दोनों पहलू हो सकता है ऐसा नहीं है कि हर ख़बर सच हो या झूठ पर आधारित हो या दोनों का मिश्रण, या इस खबर के पीछे कुछ मानसिकता हो और इसमें कुछ निंदित या प्रशंसित मक़सद गुप्त हों या भाषा के हेर फेर से उसे कुछ का कुछ बना दिया गया हो या टोन व भाषा शैली कड़वी और मीठी कर दी गई हो या बात चीत की शैली, घटना व दुर्घटना को पेश करने और इसमें आगे पीछे करने और इसकी स्थिति बदलने से घटना कुछ की कुछ हो गई हो किस दृष्य और परिदृष्य या स्वंय दृष्य को पेश करने में उलट फेर और झूठ हो या संदर्भ से काटकर कर पेश किया गया हो या खबर को बड़ी करने की इच्छा हो, या छोटी और उसे लम्बा चौड़ा बयान करके उसमें उलझाव पैदा कर दिया गया हो लेकिन अगर कोई बात स्वयं तो शतप्रशित दुरूस्त हो बल्कि प्रशंसनीय और निर्णायक कथन बनने के योग्य हो मगर इसे गलत तरीके से पेश किया जाये तो वही खबर बुरी से बुरी बन जाती है और बड़ी सी बड़ी घटना और बड़े फ़साद पैदा कर देती है लेकिन इन सबमें अगर कसी ख़बर के नक़ल के नाम पर मुकम्मल तौर पर झूठ और हेराफेरी से जान बूझ कर काम लिया जाये या बात को बिल्कुल उलट कर हक़ीक़त के विपरीत ख़बर दी जाये तो इससे बड़ा फ़साद और बदतरीन कोई और कर्म नहीं हो सकता।

आज भी दुनिया अख़बार की रसिया है और हर तरह की ख़बरों तक हर किसी की रिसाई आसान है। इत्तेफ़ाक़ से इस व्यस्सतरीन दुनिया में इन्सान के पास इन खुराफ़ात व अखबारात के लिये फुर्सत ही फुर्सत है और ख़बर के नाम पर ऐसी खबर, जिस की कोई बुनियादा ही न हो और जिस के बारे में खबर दी जा रही है और जिस की तरफ खबर की निसबत है, उसके वहम व गुमान में भी न हो, को प्रकाशित पूरे विश्वास के साथ किया जाता है। आज की दुनिया में सुना है कि आसमान की खबरों में से कोई एक दो खबर शैतान का लश्कर उचक लेता है और शिहाबे साक़िब (चमकते सितारे) की भी मार खाता है और बिलबिलाता भाग जाता है मगर फिर भी खबर लिखते और फैलाते वक़्त सौ झूठी ख़बरों और बातों को बढ़ा देता है ताकि लोगों का ईमान, जान व माल और इज़्ज़त का सौदा करे और जमीन में फ़साद, बन्दों को हलाक करने और जहन्नम पहुंचाने का अपना निर्धारित किया कर्तव्य अदा और इन्सान को हाईजेक गुमराह, और अपमानित करे।

मगर हाय अफसोस कि आज का मीडिया और अखबार अपनी इच्छा का इतना गुलाम, धिक्कार शैतान का एलची मुफ्त और हराम कमाने का इतना आदी हो गया है कि खुदा की पनाह। वह इस दुनिया की खबरों में यही नहीं कि मिलावट और हेर फेर करता है बल्कि मुकम्मल तौर पर पूरी-पूरी जाली और झूठी ख़बर तराश लेता है बल्कि जो बातें

वह मजलिस, कांफ्रेन्स मीटिंग में सुनता है उसके शब्द, अर्थ के बिल्कुल विपरीत अखबारों में प्रकाशित करता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं इस में दुनिया व आख़िरत दोनों का नुकसान है इस पर उसको वाहवाही भी नहीं मिलती बल्कि उसपर लानत बरस्ती है मगर फिर भी वह हसद, दुश्मनी या बेजा दुश्मनी और जुल्म व ज़्यादती के ज़रिये खबर गढ़ लेता है, यह बात यहूदियों और ईसाइयों के सर मंढ़ी जाती है गैर मुस्लिम प्रोपैगंडाई लोग और गोदी मीडिया का नाम झट से लिया जाता है और इसे एक खास समुदाय, सूसाइटी धर्म और क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है हमारा पर्यवेक्षण इस खुदाबेज़ार दुनिया में बिल्कुल यही है कि इस हम्माम में सब नंगे हैं और हर क़बीला और क़ौम में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो पूरे समुदाय, धर्म और देश व समाज को तबाह व बदनाम कर रहे हैं। उनके इस झूठ और प्रोपैगंडे से हर क़ौम, व्यक्ति परेशान दुख और कठिनाई में है मगर दुनिया इनके सुधार और इस अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के बजाये और ज़्यादा इन ही लोगों का शिकार होती चली जा रही है और कोई स्थिति पूछने वाला नहीं और कोई सुधार का हक व कर्तव्य, बुराई से रोकने, भलाई का हुक्म देने या कुव्वत या पावर और ईमान व इन्साफ अदा करने को तैयार नहीं हालंकि एक सच्ची खबर शैतान सिर्फ इस लिये दे रहा था कि इस में सत्तर झूठ मिला कर दुनिया में फैला दे मगर आस्मानी फौज हरकत में आती है और शैतानी मीडिया को फिज़ा में ही सबक सिखा देती है, पाठप्रद का आदर्श बना देती है लेकिन आजका मीडिया पूरी पूरी खबर गढ़ता है बल्कि यथार्थ को उलट पलट देता है फिर भी सत्ता और हुकूमत और उसकी मिश्नरी शिहाबे साकिब बन कर हरकत में नहीं आई और न उसे मार भागया बल्कि उसको ऐसा सबक सिखाया, रूस्वाई व कटाई के साथ जिलावतन किया कि उसकी सात पुश्तें याद रखें गी मगर आज की सत्ता और अंधे अवाम लगता है कि खुद उसका आल-ए-कार हैं जो ''तुम मुझे हाजी कहो और मैं तुम्हें हाजी कहूं'' का प्रमाण बना हुआ है क्योंकि साधारण रूप से मीडिया हर जगह और हर स्तर पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न रहा बल्कि लोकतंत्र कौमों का सम्राट बन गया था फिर गोदी मीडिया और गुलाम बन गया। क़लम की न आज़ादी रही न उसकी पवित्रता और न ही उसका सम्मान रहा, पत्रकारिता सत्यता और न्याय की झंडावाहक क्या बनती वह सत्ता, हित और हवस का गुलाम बन कर रह गई। इसकी प्रतिष्ठा और पवित्रता को स्वयं उसके अपनों ने पामाल किया और वह चन्द टकों के लिये बेदाम गुलाम और नफसानियत (स्वार्थपरायणता) की आदी बन गई, कुछ सत्ता की चाकरी कर रहे हैं, कुछ पेट पालने के लिये मर रहे हैं कुछ हसद, डाह और पक्षपात के शिकार हैं औरकुछ जात धर्म और विचारधारा (मसलक) के झगड़ों का असीर बन कर अपमानित हो रहे हैं, और इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं और सबसे पहली सृष्टि कलम और इसके जरिये लिखे गये लेख की क़सम संसार के पालनहार ने खाई उसकी महानता और पवित्रता को सरेबाज़ार नीलाम कर रहे हैं। कवि के कथानुसार। कवि के अनुसार

हर किसी की खबर पर कान न धरना ऐ अजीज़

आज कल के ढेर सारे खबर दां मक्कार हैं।

❑❑❑

# कुरबानी की फ़ज़ीलत, अहकाम व मसाइल

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कुरबानी की ताक़त रखने के बावजूद कुरबानी न करे वह हमारी ईदगाह में न आए। (अत-तर्गीब २/१५५)

कुरबानी का मक़सद केवल गोश्त खाना नहीं है, बल्कि कुर्बानी का मक़सद यह है कि कुर्बानी करने वाला यह स्वीकार करे कि हम आज जिस तरह इस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं वह केवल एक नमूना है अगर ज़रूरत पड़ी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कीमती से कीमती चीज़ को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं और नेकी की प्रेरणा और बुराई को रोकनें में हर प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं और देश व समाज और मानवता के विकास एवं उत्थान के लिये हमेशा तत्पर हैं।

हज़रत अली रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि कुर्बानी के चार दिन हैं एक ईदुल अज़्हा का दिन (अर्थात १० जिलहिज्जा) और तीन दिन इसके बाद (नैलु अवतार भाग-५ पृष्ठ-१३५)

हज़रत अली, हज़रत जुबैर बिन मुतइम रजियल्लाहो अन्हुम, हज़रत अता, हज़रत हसन बसरी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत सुलैमान बिन मूसा, इमाम अबू दाऊद, अन्य सहाब-ए-किराम, प्रतिष्ठित ताबईन, तबअ् ताबईन, और मुहद्दिसीन का भी यह मसलक है कि १० जिलहिज्जा के बाद तीन दिन और कुर्बानी करना जायज़ और दुरूस्त है। (मुस्लिम भाग-२, पृष्ठ १५२)

**जुल हिज्जा के दस दिन का अर्थः-** जुलहिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है और हुर्मत वाले चार महीनों में से एक, जुलहिज्जा महीने के दस्वें दिन ईदुल अजहा का पहला दिन होता है इन दस दिनों का बयान कुरआन में विशेष तौर से हुआ है (सूरे हज)

इन दस दिनों की अहमियत इस से भी स्पष्ट होती है कि अल्लाह ने इन दिनों की सौगन्ध (क़सम) खाई है। (सूरे फज्र)

इन दस दिनों के आमाल का मुकाबला इन्हीं जैसे आमाल से होगा, मतलब यह है कि इन दिनों की नफली इबादत दूसरे दिनों की नफली इबादत से अफजल है। इन दिनों की फर्ज इबादत दूसरे दिनों की फर्ज इबादत से अफज़ल है। यह मतलब भी नहीं है कि इन दिनों की नफली इबादत आम दिनों की फर्ज इबादत से भी अफज़ल है। (पांच अहम दीनी मसायल)

जुल हिज्जा के दस दिनों में से एक दिन ६ जुलहिज्जा ऐसा है कि अल्लाह तआला ने इस में दीने इस्लाम के मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाई थी। (सहीह़ बुखारी)

६ जुल हिज्जा के दिन अल्लाह तआला साल के बाकी दिनों के मुकाबले में ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी देता है (सहीह़ मुस्लिम)

जुलहिज्जा का दस्वां दिन सब दिनों का सरदार और सब दिनों से अफजल है। (अबू दाऊद)

इन फजीलतों का कारण यह है कि इन दिनों में तमाम बुनियादी

इबादतें जमा होती हैं। यानी नमाज, रोज़ा, हज सदका इन दिनों के अलावा और किसी दिन यह इबादतें जमा नहीं होतीं। (फतहुलबारी)

इन दिनों में लगन से इबादत करनी चाहिये। (सुनन दारमी)

खास तौर से अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तमाम तारीफ अल्लाह के लिये है का विर्द ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये। (मुस्नद अहमद)

कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इन दिनों में तकबीरात कहते थे यहां तक कि बाज़ार में भी इन का विर्द करते और इनकी तकबीरात को सुन कर दूसरे लोग भी तकबीरात शुरू कर देते थे। (सहीह बुखारी)

९ जुलहिजा का रोज़ा रखने से पिछले एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। (सहीह मुस्लिम)

हज करने वाले के लिये मुस्तहब है कि ९ जुलहिज्जा के दिन रोजा न रखे। (तोहफतुल अहवज़ी)

जो आदमी कुर्बानी करना चाहता है वह इन दस दिनों में कुर्बानी करने तक अपने जिस्म के बाल और नाखुन आदि नहीं काट सकता। (सहीह़ मुस्लिम)

**कुर्बानी का शाब्दिक अर्थः-** कुर्बानी अर्बी जुबान के शब्द कुर्बान की बदली हुई शक्ल है और शाब्दिक पहलू से इस का अर्थ हर वह चीज है जिससे अल्लाह का तकर्रुब (निकटता) हासिल किया जाये, चाहे जबीहा हो या कुछ और। (अलमोजमुलवसीत)

कुछ ओलमा के नजदीक कुर्बानी का शब्द कुर्ब से बना है चूंकि इसके माध्यम से अल्लाह की नजदीकी हासिल की जाती है इस लिये इसे कुर्बानी कहा जाता है।

**परिभाषिक अर्थः-** कुर्बानी का अर्थ ऊंट भेड़ और बकरियों में से कोई जानवर ईदुल अज़हा के दिन और तश्रीक के दिनों ११,१२,१३ जुलहिज्जा में अल्लाह तआला का कुर्ब (निकटता) हासिल करने के लिये जबह करना है।

**कुर्बानी का हुक्मः-** जुम्हूर के नजदीक कुर्बानी सुननते मुअक्कदा है। लेकिन अल्लामा शौकानी र-ह-म-हुल्लाह ने अपनी किताब अस्सैलुल जर्रार में दलायल (तर्क) लिखने के बाद लिखा है कि कुर्बानी वाजिब साबित होती है लेकिन यह वुजूब ताकत रखने वालों के लिये है जिसके पास माली ताकत नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। (मिर्आतुलमफातीह)

**कुर्बानी के शरायतः-**१. खालिस अल्लाह की रिज़ा के लिये हो। (सूरे बय्यना, सूरे माइदह)

२. पाकीज़ा माल से हो हराम माल से न हो। (सहीह मुस्लिम) ३. सुन्नत के अनुसार हो। अगर कोई ईद की नमाज़ से पहले कुर्बानी करे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि उसने सुन्नत की मुखालिफत की है। (सहीह बुखारी) ४. कुर्बानी का जानवर उन खामियों और कमियों से पाक हो जिन की बुनियाद पर शरीअत ने कुर्बानी करने से रोका है। दो दांता होना जरूरी है, अगर ऐसा जानवर मिलना मुश्किल हो या कोई दूसरी मजबूरी हो तो भेड़ का खेरा एक साल का कुर्बानी करना सहीह है। (मुस्लिम)

### किन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं

१. वाजेह तौर से काना हो। २. ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो। ३. ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर हो। ४. ऐसा कमज़ोर जानवर जिसमें चर्बी न हो। ५. कान में सूराख हो। (अबू दाऊद)

**मसायलः-**

- ❑ खसी जानवर की कुर्बानी जायज है। (सहीह इब्ने माजा)
- ❑ हामिला (जिसके पेट में बच्चा हो) जानवर की कुर्बानी भी जायज है। (सहीह अबू दाऊद)
- ❑ हामिला जानवर का जबह करना ही पेट के बच्चे के लिये काफी है दिल चाहे तो उसे भी

खाया जा सकता है,जबह करने की जरूरत नहीं।(सहीह अबू दाऊद)

❑ कुर्बानी के जानवर को खिला पिला कर मोटा ताजा करना चाहिये। (सह़ीह़ बुखारी)

❑ ईद के पहले दिन कुर्बानी करना अफज़ल है क्योंकि यह दिन सब दिनों से अफजल है। (सहीह अबू दाऊद)

❑ कुर्बानी के चार दिन हैं, १३ जुल हिज्जह को सूरज डूब जाने तक कुर्बानी की जा सकती है। (सहीह अल जामिउस्सगीर)

❑ कुर्बानी के चार दिनों की रातों में भी कुर्बानी की जा सकती है।

❑ कुर्बानी करने का वक़्त ईदुलअज़्हा की नमाज पढ़ने के बाद शुरू होता है। (बुखारी)

❑ कुर्बानी के जानवर पर सवार होना जायज है। (बुखारी)

❑ जिस जानवर को कुर्बानी की निय्यत से खरीद लिया जाये उसे बेचना अवैध है (अस्सैलुल जर्रार अल्लामा शौकानी)

❑ जानवर कुर्बानी करने के बजाये उसकी कीमत का सदक़ा करना दुरूस्त नहीं है।(मिर्आतुल मफातीह)

❑ अगर कोई आदमी ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ही जनावर जबह कर दे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी बल्कि उसे ईद की नमाज के बाद एक दूसरा जानवर जबह करना पड़ेगा। (सहीह बुखारी)

❑ ईदगाह में कुर्बानी करना सुन्नत है। (बुखारी)

घर में या किसी दूसरी जगह अगर कुर्बानी कर ली जाये तो दुरूस्त है क्योंकि ईदगाह में कुर्बानी करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम करार नहीं दिया है और न सब लोग ऐसा कर ही सकते हैं।

❑ छुरी खूब तेज होनी चाहिये। (सहीह मुस्लिम)

❑ जानवर को किब्ला की तरफ करके जबह करना मुस्तहब है। (मौकूफ इब्ने उमर)

❑ कुर्बानी वाले जानवर के पहलू पर जबह के वक़्त पांव रखना मसनून है। (बुख़ारी)

❑ बिसमिल्लाह वल्लाहु अक्बर पढ़कर जानवर को नह्र या जबह किया जायेगा (बुख़ारी)

❑ दांत और नाखुन को छोड़कर हर ज़बह कर देने वाली चीज से जानवर जबह किया जा सकता है। (बुखारी)

❑ मालिक का अपने हाथ से जानवर जबह करना अफजल है (बुखारी)

❑ लेकिन दूसरे से भी जबह करवाया जा सकता है। (बुखारी, अबू दाऊद)

❑ औरत भी जानवर जबह कर सकती है।(बुखारी)

❑ अल्लाह के अलावा दूसरे के नाम पर जबह करने वाला लानती है। (सहीह मुस्लिम)

❑ पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर ही किफायत कर जायेगा (सहीह तिर्मिजी)

कुर्बानी करते वक़्त तकबीर के साथ साथ ''अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी अव मिन फुलां'' ऐ अल्लाह मेरी तरफ से या फुलां की तरफ से कुबूल फरमा कहना भी दुरूस्त है। (मुस्लिम)

कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों पर सदक़ा किया जा सकता है और खुद भी खाया जा सकता है। (सूरे हज)

❑ गोश्त को बराबर तीन हिस्सों में बांटना जरूरी नहीं है क्योंकि शरीअत ने इसकी पाबंदी नहीं लगाई बलकि इसके विपरीत नबी स० ने जी भर खाने की इजाजत दी है। (सहीह तिर्मिज़ी)

❑ लेकिन यह जहन में रहे कि इस हदीस में जहां खाने का बयान है वहां खिलाने का भी जिक्र है। इस लिये इतना ना खाया जाये

कि हदीस के अगले हुक्म ''खिलाओ'' पर अमल न हो सके।

❑ अगर कोई गोश्त का कुछ हिस्सा जखीरा (जमा) करना चाहे तो शरई (इस्लामी क़ानून के) एतबार से इसकी इजाजत है। (बुखारी)

❑ गैर मुस्लिम अगर मुस्तहिक (पात्र) है तो उसे भी गोश्त दिया जा सकता है। (अलमुगनी इब्ने कुदामा)

❑ कुर्बानी की खाल का मसरफ (खर्च करने की जगह) वही है जो गोश्त का है। (बुखारी)

❑ कर्जदार आदमी कुर्बानी कर सकता है क्योंकि ऐसी कोई दलील नहीं जो उसे कुर्बानी करने से रोकती हो। (पांच अहम दीनी मसायल)

❑ हज के लिये जो ऊंट खरीदा गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सात अफराद शरीक हो सकते हैं। (मुस्लिम)

कुर्बानी करने वाले अफराद जुलहिज्जा का चांद नजर आने से लेकर कुर्बानी करने तक बाल और नाखुन नहीं काट सकते। (मुस्लिम)

''कुर्बानी एक प्रकार की उपासना है जो अल्लाह के लिये की जाती है। सबसे पहले इसका प्रयोग आदम के दो बेटों ने किया था जिसकी ओर कुरआन संकेत करता है। ''और इन्हें आदम के बेटों का हाल हक़ के साथ सुना दो जबकि दोनों ने कुर्बानी की, तो उनमें से एक की कुर्बानी कुबूल हुई, दूसरे की कुबूल नहीं हुई।'' (सूरे न० ५ अलमाइदा-आयत न० २७)

''इस्लाम धर्म से पहले कुर्बानी के जानवर को आग में जलाने की रीति थी लेकिन इस्लाम ने कुर्बानी के जानवर को आग में जलाने की रीति को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया''।(कुरआन की इन्साइक्लोपीडिया पृष्ठ २१३ लेखक प्रोफेसर डा० मुहम्मद ज़िया उर्रहमान आज़मी)

''खुशी और हर्ष व उल्लास मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ऐसी जिन्दगी को जो खुशी और हर्ष व उल्लास से खाली हो वह अजीरन है। यही वजह है कि दुनिया के अन्दर जितनी भी क़ौमें और मिल्लतें (समुदाय) पाये जाते हैं सभों के यहाँ रंज व ग़म और दुख व तकलीफ से आज़ाद होकर खुशियाँ मनाने के चन्द विशेष दिन होते हैं जिनके आने पर वह अपनी खुशी का इज़हार करते हैं जिन्हें ईद या त्यौहार या पर्व कहा जाता है। चूंकि इस्लाम इन्सानी फितरत के अनुकूल एक विश्वव्यापी धर्म है इसलिये उसने भी शुरू ही से इन्सानी फितरत (स्वभाव) का ख्याल किया है और अपने मानने वालों को एक साप्ताहिक ईद जुमा की शक्ल में और दो वार्षिक ईद ईदुल फित्र और ईदे कुरबां की शक्ल में दिया है।'' (ईदे कुरबां के अहकाम व मसाइल, एक तहकीकी जायज़ा'')

इस्लाम ने खुशी मनाने का एक सिद्धांत तय किया है। आम तौर पर लोग खुशी के मौके पर इस तय शुदा सिद्धांतों को भूल जाते हैं और उनसे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हें जो लोगों के हानि और दुख पहुंचने का सबब बन जाता है। इस्लाम ने खुशी मनाने का जो उसूल तय किया है उसी के अनुसार खुशी मनानी चाहिए ताकि ईद (खुशी) हमारे लिये संसार के पालनहार की सामीप्ता प्राप्त करने का माध्यम बन सके और यह केवल खुशी ही तक सीमित न होकर अल्लाह की उपासना का भी माध्यम बन जाए हमें इसी पहलू से ईद मनानी चाहिए कि इससे हमारा पालनहार भी खुश हो जाए और हम ईद के माध्यम से लोगों की मदद भी कर सकें। ***(जरीदा तर्जुमान व अन्य किताबों से संकलित)***

❑❑❑

# परहेज़गार बनने का भायदा

मौलाना अबू मुआविया सलफ़ी

पवित्र कुरआन के अध्ययन से मालूम होता है कि जो लोग परहेजगार होते हैं उन्हें अल्लाह तआला उस वक़्त भी बचा लेता है जिस वक़्त पूरी कौम अज़ाब से दोचार होती है जैसा कि सूरे नमल में समूद कौम की बर्बादी और हिलाकत का उल्लेख किया गया है हमने उनको और उनकी क़ौम को बसको ग़ारत कर दिया यह हैं उनके मकानात जो उनके अत्याचार की वजह से उजड़े पड़े हैं जो लोग इल्म रखते हैं उनके लिये इसमें बड़ी इबरत की निशानी है।'' (सूरह नमल)

अब ज़रा ग़ौर कीजिये कि अल्लाह रब्बुल इज्ज़त ने तो इन सब कौम को हलाक व बर्बाद तो कर दिया मगर इसी क़ौम के बीच में हज़रत सालेह और अन्य ईमान वालों को हर तरह के जान व माल के नुक्सान से सुरक्षित रखा। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने इसकी वजह यह बताई कि हमने इनको जो ईमान लाये थे और परहेज़गार थे बाल बाल बचा लिया। (सूरे नमूलः५३)

सिर्फ एक महीने की इबादत से न तो हम मुत्तक़ी (परहेज़गार) बन सकते हैं और न ही अल्लाह तआला हम से खुश होगा और न ही अल्लाह की मदद मिलेगी अगर हमें अल्लाह की मदद चाहिए तो फिर मुत्तकी बनना पड़ेगा और मुत्तकी की पहचान यह है कि वह हमेशा नमाज़ पढ़ते हैं नमाज़ की पाबन्दी करते हैं जैसा कि अल्लाह तआला हम से खुश हो गया और न ही अल्लाह की मदद मिलेगी अगर हमें अल्लाह की मदद चाहिए तो फिर मुत्तकी बनना पड़ेगा और मुत्तक़ी की पहचान यह है कि वह हमेशा नमाज़ पढ़ते हैं नमाज़ की पाबन्दी करते हैं जैसा कि पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुत्तकी (परहेज़गार और अल्लाह के आदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले अल्लाह से डरने वाले) वह लोग हैं जो परोक्ष पर ईमान लाते हैं और नमाज़ काइम रखते हैं और हमारे दिये हुए माल में से खर्च करते हैं। (सूरे बक़राः३)

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

''जो शख्स नेक काम करे गा तो अपने नफ़े के लिये और जो बुरा काम करेगा तो इसका वबाल भी इसी पर है और आप का रब बन्दों पर अत्याचार करने वाला नहीं। (सूरे फ़ुस्सिलतः४६)

अगर हम और आप अपनी भलाई चाहते हैं और दुनिया व आख़िरत की हर रूस्वाई और अपमान से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो फिर हमेशा अल्लाह की बन्दगी व इबादत करते रहें।

तक़्वा की बड़ी अहमियत है इसी लिये अल्लाह के रसूल सलल्ललल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की शिक्षा दी है कि हम अल्लाह से अपने लिये तक़्वा के लिये दुआ करें और यह दुआ करें कि अल्लाह तआला हम सभी को परहेज़गारी और अपनी शरीअत का पाबन्द बना दे दुआ करें ''अल्ला हुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत-तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना'' अर्थात ऐ अल्लाह मैं तुझ से अपनी हिदायत, परहेजगारी पवित्रता और अपनी बेनियाज़ी का सवाल करता हूं। (सहीह मुस्लिम)

# नेक काम लगातार करते रहिये

अबू हमदान अशरफ़ फ़ैज़ी

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

"और अपने रब की इबादत करते रहें यहां तक कि आप को मौत आ जाये।" (सूरे हिज्रः६६)

अल्लाह तआला ने पवित्र कुरआन में दूसरी जगह फरमायाः

"ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला से डरो जितना उससे डरना चाहिए और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना"। (सूरे आले इमरानः१०२)

ऐ लोगो! नेक अमल लगातार करो, पाबन्दी करो क्योंकि अल्लाह तआला ने मोमिन के अमल के लिये मौत से पहले कोई सीमा तय नहीं की फिर आयत की तिलावत की और अपने रब की इबादत करते रहें यहां तक कि मौत आ जाये और वह यह भी फरमाते हैं जब शैतान तुम्हें अल्लाह की एताअत में बराबर लगा हुआ देखता है तो शैतान तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है और बार-बार प्रयास करता है लेकिन जब देखता है कि तुम नेक अमल बराबर कर रहे हो तो शैतान थक जाता है और तुम्हें छोड़ देता है और तुम कभी ऐसे हो और कभी वैसे यानी कभी नेकी करते और कभी छोड़ देते हो) तो वह तुम से उम्मीद बांध लेता है।

शैख इब्ने उसैमिन रह० फरमाते हैं नेक अमल मोसमी समय खतम होने से खतम नहीं होते बल्कि अमल का अंत इन्सान की मौत पर होता है। बिश्न हाफ़ी रह० से कहा गयाः लोग रमज़ान में इबादत करते हैं और नेकियों में मेहनत करते हैं लेकिन जैसे ही रमज़ान गुज़र जाता है वह सब छोड़ देते हैं तो उन्होंने फरमायाः वह कितने बुरे हैं जो अल्लाह को सिर्फ रमज़ान के महीने में पहचानते हैं।

काब अहबार रह० फ़रमाते हैंः

"जिस शख्स ने रमज़ान का इस हाल में रोज़ा रखा कि वह अपने दिल में यह एरादा रखता था कि रमज़ान ख़तम होने के बाद वह अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा तो वह बिना किसी सवाल व जवाब और हिसाब के जन्नत में दाख़िल होगा और जिस शख्स ने इस एरादे से रोज़ा रखा कि वह दिल में एरादा किये हुए था कि वह रमज़ान के बाद अपने रब की नाफरमानी करेगा तो उसका रोज़ा उसके मुंह पर मार दिया जायेगा। (लताइफुल मआरिफ पृष्ठ १३६-१३७)

सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान फ़रमाते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सलल्ललल्लाहो अलैहि वसल्लम से कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी पक्की बात बताइये कि आप के बाद किसी से इसके बारे में सवाल करने की ज़रूरत न रहे। आप सलल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर इस पर जमे रहो।

रमज़ान के महीने में नेक कर्म करने का जो जजबा हमारे अन्दर था उसका सिलसिला जारी रहना चाहिए, रमज़ान का महीना केवल पीछे गुज़र गया है इस्लाम की तालीमात बाक़ी हैं और हम इन तालीमात पर बराबर अमल करें।

# क़्यामत के दिन पर ईमान

**शैख़ मुहम्मद सालेह उसैमीन** **अनुवादः रज़ाउर्रहमान अंसारी**

हमारा ईमान आख़िरत के दिन पर है तथा वही महाप्रलय का दिन है जिसके पश्चात कोई दिन नहीं, जब अल्लाह तआला लोगों को दोबारा जीवित करके उठायेगा। फिर या तो वे सदैव के लिए स्वर्ग में रहेंगे जहां अच्छी-अच्छी चीज़ें होंगी या नकर में जहाँ कठोर यातनायें हैं।

तथा जब सूर फूंक दिया जायेगा तो जो लोग धरती एवं आकाशों में हैं सब बेहोश हो कर गिर पड़ेंगे परन्तु वह जिसे अल्लाह चाहे, फिर पुनः सूर फूंका जायेगा तो तुरन्त सब खड़े होकर देखने लग जायेंगे। (सूरह जुमार-६८)

जब लोग अपनी-अपनी क़ब्रों से उठकर संसार के प्रभु की ओर जायेंगे तो वह नंगे पांव बिना जूतों के, नंगे बदन बिना कपड़ों के एवं बिना ख़तनों के होंगे।

जिस प्रकार हमने (संसार को) पहले पैदा किया था उसी प्रकार दोबारा पैदा कर देंगे यह वादा है, जिसकी पूर्ति करना हम पर आवश्यक है और हम ऐसा अवश्य करने वाले हैं। (सूरह अम्बिया-१०४)

और हमारा ईमान नामए-आमाल (कर्मपत्र) पर भी है कि वह दायें हाथ में दिया जायेगा या पीछे की ओर से बायें हाथ में। फ़रमाते हैंः

''तो जिसका कर्मपत्र उसके दायें हाथ में दिया जायेगा उससे सरल हिसाब होगा तथा जिसका कर्मपत्र पीठ के पीछे से दिया जायेगा तो वह मृत्यु को पुकारेगा तथा भड़कती हुई आग में डाल दिया जायेगा। (सूरह इंशिकाक-३-१२)

और फरमाते हैंः

''तथा हमने हरेक मनुष्य के भाग्य को उसके गले में डाल दिया है तथा महाप्रलय के दिन हम उसके कर्मपत्र को निकालेंगे जिसे वह अपने ऊपर खुला हुआ देखेगा। लो स्वयं ही अपना कर्मपत्र पढ़ लो। आज तो तू स्वयं ही अपना निर्णय करने को पर्याप्त है।'' (सूरह बनी इस्राईल-१३,१४)

तथा, कर्मों के अनुसार न्याय पर भी हमारा ईमान है कि वह क़ियामत के दिन स्थापित किये जायेंगे फिर किसी पर कोई अत्याचार नहीं होगा।

''तो जिस ने कण भर भी नेकी की होगी वह उसको देख लेगा तथा जिसने कण भर भी बुराई की होगी वह उसे देख लेगा।'' (सूरह जिल्जाल, ८७)

''तो जिनके कर्मों के बोझ भारी होंगे तो वह मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं तथा जिनके बोझ हलके होंगे वह ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी हानि स्वयं कर ली इसलिए सदैव नरक में रहेंगे। आग उनके मुख को झुलसाती रहेगी वे वहां कुरूप बने रहेंगे। '' (सूरह मोमिनून-१०१-१०४)

जो कोई उपकार करके आयेगा उसको वैसा ही दस गुना उपकार मिलेगा तथा जो कोई बुराई लायेगा उसे उसी के समान दण्ड मिलेगा तथा उन लोगों पर अत्याचार नहीं किया जायेगा। (सूरह अंआम-१६०)

और हमारा ईमान है कि अभिस्ताव (सिफ़ारिश) का हक़ मुख्यतः प्यारे नबी सलल्लल्लाहो

अलैहि वसल्लम को प्राप्त होगा।

जब लोग असहनीय दुःख एवं कष्ट में ग्रस्त होंगे तो पहले आदम अलैहिस्सलाम फिर क्रमानुसार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अंत में हज़रत मुहम्मद सलल्ललल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास जायेंगे तो आप सलल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला की आज्ञा से उनके समक्ष बन्दों की सिफारिश करेंगे ताकि अल्लाह तआला उन सबको क्षमा कर दे।

और हमारा ईमान है कि जो मोमिन अपने गुनाहों के कारण नरक में प्रवेश कर जायेंगे उनको वहां से निकालने के लिए भी सिफ़ारिश होगी तथा उसका सम्मान नबी स० अथवा आप के अतिरिक्त अन्य नबियों, मोमिनों और फ़रिश्तों को भी प्राप्त होगा।

अल्लाह तआला मोमिनों में से कुछ लोगों को बिना अभिस्ताव के केवल अपनी दया एवं विशेष अनुकम्पा के आधार पर नरक से निकाल देगा।

हम प्यारे नबी सलल्ललल्लाहो अलैहि वसल्लम के हौज पर भी ईमान रखते हैं। उसका जल दूध से भी बढ़कर सफेद होगा तथा बर्फ़ से बढ़कर ठंडा, शहद से ज़्यादा मीठा तथा कस्तूरी से बढ़कर सुगन्धित होगा। उसकी लम्बाई एवं चौड़ाई एक एक मास की यात्र के समान होगी।

तथा उसके आबखोरों (पानी पीने का प्याला) की सुन्दरता एवं सजावट भारी संख्या में आसमान के तारों के समान होंगे। वह मैदाने महशर (वह स्थान जहां महाप्रलय के दिन लोग लेखा-जोखा के लिए एकत्र होंगे) में होंगे जिसमें जन्नत की नहर कौसर से दो परनाले आकर मिले होंगे।

प्यार नबी सलल्ललल्लाहो अलैहि वसल्लम के ईमान वाले उम्मती वहां से पानी पियेंगे, जिसने वहां से एक बार पानी पी लिया उसे कभी पयास नहीं लगेगी।

हमारा ईमान है कि नरक पर पुल सिरात की स्थापना होगी। लोग अपने कर्मों के अनुसार उस पर से गुज़रेंगे। पहले दर्जो के लोग बिजली की चमक की तेजी की तरह गुजर जायेंगे फिर क्रमानुसार कुछ हवा की सी तेज़ी से और कुछ पक्षियों की तरह तथा कुछ तेज दौड़ते हुए पुरूषों की तरह गुज़रेंगे और नबी सलल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर खड़े दुआ मांग रहे होंगे।

ऐ अल्लाह इन्हें सुरक्षित रख यहां तक कि लोगों के कर्म पुल सिरात पर से गुज़रने के लिए अपर्याप्त एवं विवश होकर रह जायेंगे तो वह पेट के बल रेंगते हुए गुज़रेंगे।

पुल सिरात के दोनों ओर कुंडियां लटकी होंगी जिन के सम्बन्ध में आदेश उसे होगा वे उसे पकड़ लेंगी, कुछ लोग उनकी खराशों से ज़ख़्मी होकर मुक्ति पा जायेंगे तथा कुछ लोग जहन्नम में गिर पड़ेंगे।

किताब व सुन्नत में उस दिन की जो सूचनायें एवं कष्टदायक यातनायें उल्लिखित हैं उन सब पर हमारा ईमान है अल्लाह तआला इस में हमारी सहायता करे।

हमारा ईमान है कि नबी करीम सलल्ललल्लाहो अलैहि वसल्लम जन्नतियों के स्वर्ण में प्रवेश के लिए अभिस्ताव करेंगे तथा उसका सम्मान भी विशेष रूप से आप सलल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को ही प्राप्त होगा।

स्वर्ग-नरक पर भी हमारा ईमान है, जन्नत वह दारूल नईम (नेमतों का घर) है जिसे अल्लाह तआला ने अपने संयमी एवं मुत्तकी मोमिन बन्दों के लिए तैयार किया है,

इसमें ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो किसी आंख ने देखी नहीं हैं और न ही किसी कान ने सुनी हैं और न ही किसी मनुष्य के दिल में इसका ख्याल ही आया है। अल्लाह तआला फ़रमाता है।

"कोई प्राणी नहीं जानता कि उनके लिए आँखों की कैसी ठंडक छिपा कर रखी गई है यह उन कर्मों का प्रतिकार है जो वह करते रहे।" (सूरह सजदः १६)

तथा नरक कठोर यातना का घर है जिसे अल्लाह तआला ने काफ़िरों तथा अत्याचारियों के लिए तैयार कर रखा है। वहां ऐसी भयानक यातना है जिन का कभी दिल में खटका भी नहीं हुआ। फ़रमाते हैंः

"हमने अत्याचारियों के लिए आग तैयार कर रखी है जिसकी सीमायें उन्हें घेर लेंगी और यदि वे फ़रियाद करेंगे तो ऐसे खौलते हुए पानी से उनकी सहायता की जायेगी जो पिघले हुए तांबे की तरह मुख को भून डालेगा। उनके पीने का पानी भी बुरा एवं विश्राम स्थान भी बुरा।" (सूरह कहफ़-२१)

तथा स्वर्ग और नरक इस समय भी मौजूद हैं तथा वे सैदव रहेंगे कभी नाश नहीं होंगे। अल्लाह तआला फरमाते हैंः

तथा जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान लायेगा एवं सत्कर्म करेगा अल्लाह उनको ऐसे स्वर्ग में प्रवेश करेगा जिनके नीचे नहरें प्रवाहित हैं जिसमें वह सदैव रहेंगे अल्लाह ने उनके लिए सर्वोत्तम जीविका प्रदान किया है। (सूरह तलाक़-११)

निःसंदेह अल्लाह ने काफिरों को धिक्कारा है तथा उनके लिए भड़कती हुई आग (नरक) तैयार कर रखा है। जिसमें वह सदैव रहेंगे, वह कोई पक्षधर एवं सहायता करने वाला न पायेंगे। उस दिन उनके मुख आग में उलटे-पलटे जायेंगे। खेद से, कहेंगे कि काश! हम अल्लाह के आज्ञाकारी होते तथा रसूल का आदेश मानते। (सूरह अहज़ाब-६४-६६)

तथा हम उन लोगों के स्वर्गीय होने की गवाही देते हैं जिनके लिए किताब व सुन्नत ने नाम लेकर और विशेषतायें बता कर स्वर्ग की गवाही दी है।

जिनका नाम लेकर उन्हें स्वर्ग की गवाही दी गई है उनमें हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहो अन्हो, हज़रत उमर रज़ियल्लाहो अन्हो, हज़रत उसमान रज़ियल्लाहो अन्हो, और हज़रत अली रज़ियल्लाहो अन्हो के अतिरिक्त कुछ और लोग भी सम्मिलित हैं जिनको आप सलल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने विशेष कर दिया।

तथा स्वर्गीय लोगों की विशेषता के आधार पर हरेक मोमिन और मुत्तकी के लिए स्वर्ग की शुभ सूचना है। तथा उसी प्रकार हम उन सब लोगों को नरकीय होने की गवाही देते हैं जिन का नाम लेकर या अवगुण बयान करके किताब व सुन्नत ने उन्हें नरकीय घोषित कर दिया है जैसे अबू लहब, अम्र बिन लुहै और इस आचरण के लोगों का नाम लेकर नरकीय घोषित कर दिया गया है तथा नरक वालों की अवगुणों के आधार पर हरेक काफिर एवं मुशरिक अथवा मुनाफ़िक के लिए नरक की गवाही है।

और हम कब्र के अज़ाब एवं परीक्षा पर भी ईमान रखते हैं। इससे तात्पर्य वह प्रश्न है जो मैयत से उसके प्रभु, धर्म एवं नबी के संबन्ध में पूछा जायेगा।

अल्लाह तआला मोमिनों को पक्की बात पर सांसारिक जीवन में भी स्थिर रखता है एवं परलोक आखिरत में भी रखेगा। (सूरह

इब्राहीम-२)

मोमिन तो कहेगा कि मेरा प्रभु अल्लाह तआला मेरा धर्म इस्लाम, तथा मेरे नबी मुहम्मद सलल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हैं परन्तु काफिर और मुनाफ़िक उत्तर देंगे कि मैं नहीं जानता मैं तो जो कुछ लोगों को कहते हुए सुनता था कह देता था।

हमारा ईमान है कि क़ब्र में मोमिनों को नेमतों से सम्मानित किया जायेगा। ''जब फ़रिश्ते उनका प्राण निकालने लगते हैं तथा वह कुफ्र-शिर्क से पवित्र होते हैं तो उनको सलाम कहते हैं और कहते हैं कि जो कर्म तुम किया करते थे उनके कारण स्वर्ग में प्रवेश कर जाओ।'' (सूरह नहल-३२)

तथा अत्याचारियों और काफिरों को क़ब्र में यातनायें दी जायेंगी। फरमाते हैंः यदि तुम अत्याचारियों को उस समय देखो जब वह मौत की घोर यातना में हों और फ़रिश्ते उनकी ओर (यातना देने के लिए) हाथ बढ़ा रहे हों कि अपने प्राण निकालो। आज तुमको अपमानकारी यातनायें दी जायेंगी इसलिए कि तुम अल्लाह पर अनुचित आरोप लगाते थे तथा घमण्ड से उसकी आयतों का इंकार करते थे। सूरह अंआम-१३)

तथा इस संबन्ध में बहुत सारी हदीसें भी प्रसिद्ध हैं इसलिए ईमानवालों पर अनिवार्य है कि उन परोक्ष की बातों से सम्बन्धित जो कुछ किताब व सुन्नत में उल्लेख है उस पर बिना आपत्ति के ईमान ले आयें तथा संसार के दृश्यों पर उनका गुमान करके भ्रम न फैलायें क्योंकि आख़िरत के कर्मों का सांसारिक कार्यों से तुलना करना उचित नहीं इसलिए कि दोनों के बीच बड़ा अन्तर है।

❑❑❑


## मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

# पवित्र कुरआन में जिन्नों का वर्णन

प्रो०डा० मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

कुरआन में जिन्नों के कुरआन सुनने का वर्णन आया हैः

''ऐ मुहम्मद! लोगों से कह दो, ''मेरी ओर वहय की गई है कि जिन्नों के एक गिरोह ने (इस किताब को) सुना, तो उन्होंने कहा, हमने एक मन भाता कुरआन सुना है, वह सीधा मार्ग दिखाता है, तो हम उस पर ईमान ले आए और हम कदापि किसी को अपने रब का साझी न ठहरायेंगे। और यह कि हमारे रब का गौरव अत्यन्त ऊंचा है। उसने न तो किसी को अपनी पत्नी बनाया और न किसी को अपनी औलाद, और यह कि हममें का मूर्ख, अल्लाह से सम्बन्ध लगाकर बहुत दूर की बात कहता रहा है। और यह कि हमने समझ रखा था कि मनुष्य और जिन्न अल्लाह के विषय में कदापि झूठी बात न कहेंगे। और यह कि मनुष्यों में से कितने ही ऐसे लोग रहे हैं जो जिन्नों में से कितने ही लोगों की शरण लेते थे, तो उन्होंने उन्हें और चढ़ा दिया। और यह कि उन्होंने समझ लिया था जैसे तुमने समझ लिया था कि अल्लाह किसी नबी को कदापि न उठाएगा। और यह कि हमने आकाश को टटोला तो पाया कि उसे सख़्त चौकीदार और अग्नि शिखाओं से भर दिया है। और यह कि हम उसके बैठने के स्थानों में सुनने के लिए बैठा करते थे। परन्तु अब कोई सुनने जाए तो वह अपने लिए एक अग्निशिखा को घात में लगा पाएगा। और यह कि हम नहीं जानते कि उन लोगों के साथ जो धरती में हैं बुराई का इरादा किया गया है या उनके रब ने उनके लिए भलाई और मार्गदर्शन का इरादा किया है। और यह कि हममें कुछ नेक लोग हैं और हम ही में और तरह के भी, हम अलग-अलग मार्गों पर थे। और यह कि हमने समझ लिया कि हम न धरती में कहीं अल्लाह के अधिकार से निकल सकते हैं, और न आकाश में कहीं भाग कर उसके अधिकार से निकल सकते हैं। और यह कि हमने जब हिदायत (मार्गदर्शन) की बात सुन ली, तो उसे स्वीकार कर दिलया। अब जो कोई अपने रब पर ईमान लाएगा, उसे न तो किसी हक़ के मारे जाने का भय होगा और न किसी अत्याचार का। और यह कि हममें से कुछ तो मुस्लिम (अज्ञाकारी) हैं और हममें से कुछ ने मार्गदर्शन की बात सुन ली, तो उसे स्वीकार कर लिया। अब जो कोई अपने रब पर ईमान लाएगा, उसे न तो किसी हक़ के मारे जाने का भय होगा और न किसी अत्याचार का। और यह कि हममें से कुछ तो मुसिलम (अज्ञाकारी) हैं और हममें से कुछ मार्ग से फिरे हुए हैं। तो जो मुस्लिम हुए, उन्होंने तो भलाई और सूझ-बूझ का मार्ग पसन्द कर लिया। रहे वे लोग जो मार्ग से फिरे हुए हैं तो वे जहन्नम का ईंधन हुए। (सूरा-७२, अल-जिन्न, आयतें-१-१५)

आयत नम्बर ८,९,१० और से स्पष्ट होता है कि जिन्नों द्वारा कुरआन सुनने की घटना मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के नबी होने के प्रारंभिक समय में घटी होगी

क्योंकि जब अल्लाह की ओर से वह्य आने लगी, तो आकाश में फ़रिश्तों को नियुक्त कर दिया गया, ताकि कोई जिन्न या शैतान वह्य उचक न ले। और फिर उसमें घटा-बढ़ा न दे। इसी की ओर इन आयतों में संकेत किया गया है। सहीह बुखारी (४६२१) तथा सहीह मुस्लिम (८८२) में अब्दुल्लाह बिन अब्बास की यह हदीस आई है कि जब शैतान को आकाश के समाचार प्राप्त करने से रोक दिया गया तो उसने अपने लोगों को यह पता लगाने के लिए भेजा कि ऐसा क्यों हुआ। वे घूमते-घूमते नखला नाम के स्थान पर पहुंचे, जहां नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ भोर फज्र की नमाज़ पढ़ रहे थे। जब उन्होंने कुरआन सुना तो पुकार उठे कि यही वह चीज़ है जिसके कारण हमारे और आकाश के समाचार के बीच रूकावट खड़ी कर दी गई है, और फिर वे अपने साथियों को बताने चले गए कि हमने एक अदभुत कुरआन सुना है। अर्थात उस समय सूरा-७२, अल-जिन अवतरित हुई।

हाफिज़ इब्ने हजर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'बुखारी शरीफ की व्याख्या' में बताया है कि यह घटना मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के नबी बनने के प्रारम्भिक समय की है। जिन्नों के कुरआन सुनने की दूसरी घटना का वर्णन कुरआन की सूरा-४६, अल-अहकाफ़ में आया है।

याद करो (ऐ नबी!) जब हमने कुछ जिन्नों का ध्यान तुम्हारी ओर कर दिया कि वे कुरआन सुन लें, तो जब वे वहां पहुंचे तो कहने लगे, चुप हो जाओ।'' फिर जब वह (कुरआन का पाठ) पूरा हो गया, तो वे अपनी जातिवालों की ओर सचेत करने वाले बनकर लौटे। उन्होंने कहा, ऐ मेरी जातिवालो! हमने एक किताब सुनी है, जो मूसा के बाद उतरी है, उसकी पुष्टि में है जो उससे पहले से मौजूद है, सत्य की ओर और सीधे मार्ग की ओर ले जाती है। ऐ हमारी जाति वालो, आमन्त्रणकर्ता का आमन्त्रण स्वीकार करो और उस पर ईमान लाओ। वह (अल्लाह) तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा, और तुम्हें दुखदाई यातना से बचा लेगा, और जो कोई अल्लाह के आमन्त्रणकर्ता का आमन्त्रण स्वीकार नहीं करेगा तो वह धरती पर (अल्लाह से) बचकर कहीं नहीं जा सकता, और न इसके अतिरिक्त कोई उसका सहायक (वली) होगा, यही वे लोग हैं, जो खुली गुमराही में हैं। (सूरा-४६, अल अहकाफ, आयतें २६-३२)

इन आयतों से पता चलता है कि जिन्न पहले से मूसा अलैहिस्सलाम तथा ईसा पर ईमान रखते थे। इसलिए जब उन्होंने कुरआन को सुना तो पुकार उठे कि यह तो वही संदेश है जो मूसा और ईसा लेकर आए थे।

हदीसों से पता चलता है कि यह घटना उस समय घटी जब नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आ रहे थे, जो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के नबी बनने का दसवां साल था ताइफ़वालों ने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को बहुत कष्ट पहुंचाया, जिसके कारण आप दुखी थे इस घटना ने आप को भरोसा दिलाया कि इनसान तो इनसान, जिन्न भी आप पर ईमान ला रहे हैं।

**(शेष पृष्ठ २४ पर)**

# ''मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म''

## मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी

(पहली क़िस्त)

अहले हदीस जमाअत के प्रिय मित्रों एवं भाइयों मिल्लत के सम्माननीय मार्गदर्शक, दीनी केन्द्रों एवं मदर्सों के प्रतिनिधिगण, प्रिय देश बन्धु, विभिन्न धर्मों, मतों के मार्गदर्शक, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदधारी एवं प्रतिष्ठित श्रोतागण और महिलाएं!

सबसे पहले अल्लाह तआला की क्षमता से आप सब का दिल की गइराइयों से स्वागत है, जमाअत व जमीअत के हम सभी सेवक अरब और ग़ैर अरब से आने वाले मेहमानों का स्वागत करते हैं और मानव सम्मान के शीर्षक पर आयोजित इस भव्य कांफ्रेन्स के सभी प्रतिभागी, सभी मित्रों और बन्धुओं का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं।

मानवता प्रेमियों! आप मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की दावत पर अपनी जमाअत व मिल्लत की आवाज़ पर और मानवता की सफलता, कल्याण और सुरक्षा व विकास के नाम पर अल्लाह तआला की खुशी की प्राप्ति के लिये और फिर पूरी मानवता और सृष्टि की भलाई, सच्चाई, सम्मान और उनके उच्च मूल्यों व आचरण, जिस की मौजूदा इंसानियत मोहताज है से परिचित कराने के लिये सफ़र की कठिनाइयों का सहन करते हुए यहां आये हैं। ''मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म'' के शीर्षक पर दिल्ली में आयोजित ३५वीं आल इंडिया हदीस कांफ्रेन्स में शरीक होने वालों पर शीर्षक व स्थान की महत्ता और महानता किसी तरह गुप्त नहीं है। आज मानवता किस दोराहे पर खड़ी है और विकास के इस युग में स्वयं मानवता कितनी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है वह बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ इन्सान भौतिक दुनिया में हवाओं और फिज़ाओं के दोश पर उड़ान भर रहा है तो दूसरी तरफ आध्यात्मिकता और नैतिकता की दुनिया में पतन की आखिरी चरण में को पहुंचा हुआ है।

इन्सान की जान, उसका माल, उसकी इज्ज़त व आबरू और अक़्ल व दीन सब दांव पर लगा हुआ है। बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों के दावों के बावजूद इन्सान के बुनियादी अधिकारों का हनन हो रहा है और मानवता लज्जित हो रही है। यह किसे मालूम नहीं कि कौमें चरित्र के आधार पर बनती और बिगड़ती हैं, अच्छे आचरण की खुशबू उसे आस्मान की बुलंदियाँ दे गी और आचरण का पतन उसे जानवरों की पंक्ति में खड़ा कर सकती है।

तख़्लीक से मुमकिन है न तदबीर से मुमकिन

वह काम जो इन्सान का किरदार करे है

इस समय भौतिकतवाद, दुनियादारी और आख़िरत की जवाबदही न होने के रूझहान और एतेक़ाद ने जान व माल तमाम चीज़ों को नीलाम कर दिया है। दुनिया

की लज़्ज़तों मन की इच्छाओं और हवस की स्थिति ने इन्सान को जानवर बना दिया है और हालत यह है कि इन्सान पहले जंगल के परिन्दों से जितना भयभीत न था उससे कहीं ज़्यादा आज स्वयं इन्सान से इन्सान सहमा हुआ है।

हवस से कर दिया टुकड़े टुकड़ें नौए इन्सां को

उखुव्वत का बयां हो जा, मुहब्बत की जुबां हो जाय

यह हिन्दी वह खुरासानी, यह अफग़ानी वह तूरानी

तू ऐ शर्मिन्दए साहिल उछल कर बे करां हो जा

**वार्ताः** यहां एक बात प्रस्तुत कर देना ज़रूरी समझता हूं कि इस्लाम को कुछ लोगों ने छूई मूई का पौदा समझ रखा है। किसी ने अपने धर्म की बात रख दी हो तो इस्लाम हमारा ख़राब हो गया और किसी ने डायलाग (वार्ता) कर लिया तो इस्लाम दब गया जबकि वार्ता और डायलाग एक दीनी व समाजी ज़रूरत है और हर दौर में इसकी अहमियत व सार्थकता सर्वमान्य रही है बल्कि अल्लाह तआला ने इसका हुक्म दिया है।

''आप कह दीजिए कि ऐ अहले किताब! ऐसी इन्साफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में तुम में बराबर है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करें न उसके साथ किसी को शरीक बनायें, न अल्लाह तआला को छोड़ कर आपस में एक दूसरे को ही रब बनायें। (सूरे आले इमरान-६६)

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तो मक्का के मुश्रिकीन के बाज़ारों, मेलों में जाते थे, कुरैश के सरदारों की सभाओं में बैठते थे इसी तरह एकेश्वरवादियों के इमाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पूर्वज मुश्रिक थे लेकिन उनसे बहस करते थे, उनके साथ उठते बैठते थे, उनसे वार्ता करते थे जबकि उसने अपने बाप से और अपनी क़ौम से कहा कि यह मूर्तियां जिनके तुम मुजाविर बने बैठे हो क्या हैं। (सूरे अंबिया-५२)

फिर हलफुल फजूल क्या है? इस्लाम मुकम्मल हो जाने के बाद इसमें शिर्कत की आशा की क्या ज़रूरत थी, नजरान के ईसाइयों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने धार्मिक वाद विवाद (मुनाज़रा) क्यों किया?

हुदैबिया समझौते में आप का मंशा क्या था? दूसरों के साथ घुलना मिलना और यहां तक कि अल्लाह की वाणी को सुनने के क्या माने हैं जैसा कि पवित्र क़ुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''हमने उन्हें रसूल बनाया है जो खुशखबरियां सुनाने वाले और आगाह करने वाले हैं ताकि लोगों की कोई हुज्जत और आरोप रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह तआला पर रह न जाये और अल्लाह तआला बड़ा ग़ालिब (प्रभाव शाली) और बड़ा बा हिकमत (तत्वदर्शी) है। (सूरे अंबियाः५२)

नोटः- यह ३५वीं कांफ्रेन्स के अवसर पर मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी का उर्दू अध्यक्षीय भाषण है जिसको पाठकों के लाभ के लिये इसका अनुवाद सिलसिलेवार पेश किया जा रहा है।

**(अनुवादः नौशाद अहमद)**

# विनाशकारी घटनाओं के खिलाफ फ़तवा

ओलमा बोर्ड ने अपना ३२वां सेमिनार १२ से १८ मुहर्रम १४०६ हिजरी तक तायफ में आयोजित किया। विनाशकारी घटना इस सेमीनार का मुख्य शीर्षक था जिस में असंख्य निर्दोष लोग मारे जाते हैं, इन घटनाओं के कारण इस्लामी और गैर इस्लामी देशों की दौलत, संस्था और इमारतें तबाह हो जाती हैं जिनको करने वाले कमज़ोर ईमान वाले, अधर्म और हासिद लोग हुआ करते हैं।

इमारतों को धमाकों से उड़ाना, सम्पदा को जला देना, पुलों और सुरंगों को उड़ाना, हवाई जहाजों को अपहरण करना आदि ऐसे असंख्य कराइम हैं जिन को हम आये दिन अनेक देशों में देखते हैं और स्वंय अपना देश भी इस प्रकार की घटनाओं से जूझता रहा है। इसी वजह से ओलमा बोर्ड़ ने इस प्रकार की तखरीबी (विनाशकारी) घटनाओं को रोकने के लिये असमाजिक तत्वों के खिलाफ दंड निर्धारित करने की जरूरत महसूस की चाहे इन लोगों के शिकार साधारण संस्थाएं हों या प्रशासनिक विभाग या उनका उद्देश्य फसाद फैलाना या अम्न व शान्ति को खतम करना हो आदि।

अहले इल्म की तक़रीरों से बोर्ड के सामने यह बात स्पष्ट हो गयी कि इस्लामी अह़काम की बुनियाद पांच आवश्यक चीजों की हिफाज़त पर आधारित है। दीन, जान, इज्जत, अक़्ल और माल। बोर्ड ने उन तमाम खतरात और नुकसानात का अनुमान लगाया जो इनसानों के जान व माल, इज्जत और दौलत पर हमलों से होते हैं। और उन तखरीबी कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त की जिनके कारण देश के अनेक भागों में अम्न व शान्ति खतरे में पड़ जाता है ला एण्ड आडर चुरमुरा जाता है बेचैनी पैदा होती है और इंसानों में जान व माल के सिलसिले में भय पैदा होता है।

अल्लाह ने लोगों के धर्म, जान माल और इज्जत को दंड निर्धारित करके सुरक्षित बना दिया है, इस्लामी कानून लोगों की हिफाजत करने का जामिन है इसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है ‘‘इसी लिये बनी इस्राईल पर (जो शरीअत नाज़िल की उसमें) हमने लिख दिया था जो कोई किसी जान को बगैर किसी जान के बदले (किसास) या बिना मुल्क में फसाद करने की (सज़ा) के मारता है वह गोया सारे लोगों को कत्ल करता है (सूरःमाइदा-३२)

अल्लाह तआला का यह फरमान भी है ‘‘ जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाने में लगे रहते हैं उनका बदला (सजा) यह है कि उन्हें क़त्ल कर दिया जाये या उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाये अथवा उनके हाथ पांव मुखालिफ जानिब से काट दिये जायें या उन्हें निर्वासित (जिला वतन) कर दिया जाये यह रुसवाई उनके लिये दुनिया में है और आख़िरत में इन्हें बड़ा अजाब दिया जायेगा। (सूरःमाइदा-३३)

अल्लाह तआला की तरफ से उतारी की गयी हुदूद (सजाओं) को लागू करने ही में अम्न व शान्ति है,

अधिकतर ओलमा की राय यही है कि शहरों और मुल्कों में लड़ाई हो या इसके अलावा किसी भी किस्म की लड़ाई हो दोनों का हुक्म समान है अर्थात दोनों पर एक ही जैसा हुक्म लागू होगा। इस लिए कि अल्लाह तआला का यह फरमान है ''और कोई आदमी ऐसा होता है जिसकी बात दुनियावी ज़िन्दगी में आप को पसन्द आये गी और वह अल्लाह को अपने दिल की सदाक़त पर गवाह बनाता है हालांकि वह बदतरीन झगड़ालू होता है और वह जब आपके पास से लौटता है तो जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश करता है और खेतों एवं चौपायों को हलाक करता है और अल्लाह तआला फसाद को पसन्द नहीं करता है। (सूरःबकरा २०४-२०५)

अल्लाह फरमाता है ''और जमीन की इस्लाह व सुधार के बाद इसमें फसाद मत पैदा करो''। (सूरःआराफ५६)

कुर्आन के प्रसिद्ध भाव्यकार इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तआला इस्लाह के बाद फसाद और अम्न व शान्ति को भंग कर देने वाली हरकतों से मना कर रहा है इसलिये कि जब हालात ठीक ठाक हों ऐसी हालत में कोई भी फसादी काम यकीनन इंसानों के लिये हानिकारक होगा अल्लाह तआला ने इस से मना कर दिया।

इमाम कुर्तबी फरमाते हैं कि अल्लाह तआला ने हर तरह के फसाद (दंगा) से (चाहे कम हो या ज्यादा) रोक दिया है।

उपर्युक्त दलीलों की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि डाकू जो माल के भूखे होते हैं, उनकी तखरीबकारियों से ज्यादा घिनाउनी तखरीबकारी (विनाशकारी काम) उन लोगों की है जो अम्न व शान्ति को बिगाड़ते हैं उम्मत की एकता को तोड़ते हैं उम्मत के अक़ीदा को खोखला करते हैं और इंसानों को अल्लाह के रास्ते से फेर (हटा) देते हैं।

इसलिये बोर्ड ने एकजुट होकर निम्नलिखित सिद्धांत और प्रस्ताव को मंजूरी दी।

१. जिसके बारे में यह साबित हो जाये कि उसने कोई ऐसा तखरीबी (विनाशकारी) काम अथवा जमीन में फसाद फैलाने का काम किया है जिससे अम्न व शान्ति भंग हो रहा हो। मिसाल के तौर पर जान व माल पर हमला, इमारतों, मस्जिदों, मदर्सों, अस्पतालों, कारखानों, पुलों, अस्त्रशालों, पानी के टैंकों, बैतुलमाल की जायदादों, हवाई जहाजों को अपहरण करना आदि, इन सब कामों की सजा कत्ल है जैसा कि उपर्युक्त आयतें जमीन में फसाद फैलाने वालों के खून को जायज (वैध ।) करार देती हैं क्योंकि इस प्रकार के काम उन डाकुओं के काम से जो किसी आदमी का माल आदि छीन लेते हैं ज्यादा खतरनाक हैं अल्लाह तआला ने ऐसे लोगों के बारे में कुर्आन में यह फैसला कर दिया है।

२. उपर्युक्त सजा को लागू करने से पहले शरई अदालतों, सुपर जजमेंट्री बोर्ड की जानिब से पूरी तरह से तहकीकी काररवाई होनी चाहिये ताकि सज़ा लागू करने के बाद पछताना न पड़े, जान व जिन्दगी के बारे में यही तकाजा भी है और मुल्क में जराइम के सुबूत और सजा लागू करने के सिलसिले में शरई तौर पर जो काररवाईयां होती हैं उनका बाजाबता (नियमानुसार) एलान होना चाहिए।

३. बोर्ड मीडिया के द्वारा इस प्रकार की सज़ा के बारे में ऐलान को जरूरी भी क़रार देता है।

**(उच्चतम ओलमा बोर्ड)**

**''आतंकवाद के विरोध में अहले हदीस ओलमा के फ़तावे'' से**

# माता-पिता तथा प्रशिक्षण

डा० मुक़तदा हसन अज़हरी

सन्तान के प्रशिक्षण में माता-पिता का दायित्व अति महत्वपूर्ण है। बच्चा स्कूल जाने से पूर्व बचपन का एक लम्बा समय माता पिता तथा निकट सम्बन्धियों के साथ व्यतीत करता है तथा उन्हीं से शिष्टाचार एवं सदव्यवहार सीखता है। मां की गोद बच्चे की प्रथम पाठशाला है। जन्म से पांच छः वर्षों तक का समय जो बच्चा माता पिता के साथ व्यतीत करता है देखने में यह अल्प समय लगता है, परन्तु अनुभव बताता है कि यही समय सबसे अधिक मूल्यवानहै। इस काल में उसे जो शिक्षा दीक्षा दी गई है उसका असाधारण प्रभाव होता है। हदीस शरीफ में इसलिए बच्चों से सम्बन्धित बहुत सी शिक्षायें इसी काल से आरम्भ कर दी गयी हैं।

इस अवस्था के महत्व को देखते हुए इस्लाम ने माता-पिता को सन्तान की शिक्षा दीक्षा का जिम्मेदार ठहरया है तथा उनका मार्गदर्शन किया है कि वे अपनी शिक्षाओं एवं अपने चरित्र व व्यवहार से बच्चों को उचित मार्ग पर ले चलें तथा शरीअत के आदेशों के अनुसार उनके चरित्र का निर्माण करें।

प्रारम्भिक काल में बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान न देने से उसके अति कुपरिणाम होते हैं तथा इस दोष से माता पिता को मुक्त नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के पास आकर अपने लड़के के अभ्रद की शिकायत की। लड़के ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से पूछा कि अमीरूल मोमिनीन! मुसलमानों के शासक आप पर बेटे का क्या अधिकार है? उन्होंने उत्तर में कहा कि बाप को चाहिए कि बेटे के लिए अच्छी मां का चुनाव करें, अर्थात पवित्र स्त्री से विवाह करे ताकि सन्तान अच्छी पैदा हो, तथा बच्चा पैदा हो तो अच्छा नाम रखे और उसे कुरआन की शिक्षा दे।

यह सुनकर लड़के ने कहा कि मेरे बाप ने इसमें से कोई कार्य नहीं किया है। मेरी मां हबशी है तथा एक मजूसी के अधिकार में थी और मेरा नाम खफसा (कीड़ा) रखा, तथा कुरआन का एक अक्षर भी मुझे नहीं सिखाया।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने लड़के की बात सुनकर पिता की ओर ध्यान दिया और कहा कि तुम अपने लड़के की अव्यवहारिकता की शिकायत लेकर आये हो, परन्तु इससे पूर्व तुम स्वयं इसके साथ अव्यवहारिकता का परिचय दे चुके हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के इस उत्तर से इस बात का संकेत मिलता है कि अच्छे चरित्र एवं व्यवहार के लिए बच्चों की उचित देख रेख आवश्यक है।

प्रशिक्षण के विषय में मां की भूमिका अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि पिता की अपेक्षा मां का

सम्बन्ध बच्चे से अधिक होता है। एक अरबी कवि अपनी कविता में मां की स्थिति का चित्रण इस प्रकार करता है।

अनुवादः- मां एक पाठशाला है,

इसे यदि बना लो तो एक अच्छा राष्ट्र तैयार हो जाएगा।

मुस्लिम प्रशिक्षक का विचार है कि बच्चे का पालन पोषण स्वयं मां को करना चाहिए। उसे किसी दाई या अन्य पेशेवर पालने वालों के हवाले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जो प्यार मां से मिलेगा वह अन्य से नहीं। चिकित्सकीय तथा वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि शारीरिक तथा चारित्रिक रूप से बच्चा, दूध पिलाने वाली महिला का प्रभाव अधिक ग्रहण करता है। अतः यदि बच्चे को आया या दाई के हवाले करना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में धार्मिक एवं पवित्र विचारधारा की महिला जो शिक्षा दीक्षा की जानकार हो उसका चुनाव करना चाहिए। प्रशिक्षण के विषय में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि माता पिता बच्चे के साथ कड़ाई तथा नरमी बरतने में सन्तुलित ढंग से काम लें। या झिड़किना इससे बच्चे में गलत भावनायें उत्पन्न होती हैं तथा बच्चे के साथ अधिक प्यार भी उसे गलत मार्ग पर डाल देता है। इसलिए आवश्यक है कि माता-पिता विशेष कर मां, बच्चे के साथ कड़ाई तथा नरमी में सन्तुलित मार्ग अपनायें ताकि बच्चा उचित मार्ग पर कायम रहे।

**प्रशिक्षण के प्रकार**

मानव जीवन के विभिन्न पहलू हैं। इन क्षेत्रों में मनुष्य को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए अभिभावकों की जिम्मेदारयां भी भिन्न भिन्न हैं। प्रशिक्षण विशेषज्ञों में प्रशिक्षण के निम्नलिखित प्रकार का वर्णन किया है, उनमें से प्रत्येक के आदेश तथा नियम अलग अलग हैं। उनके पालन के उपरान्त ही एक मुसलमान का जीवन इस्लामी सांचे में ढलेगा तथा समाज एवं धर्म दोनों के हित में सम्पन्नता का साधन होगा।

ईमान (आस्था) का प्रशिक्षण

एक मुसलमान की सबसे बड़ी सम्पत्ति उसका ईमान (आस्था) है। इसी ईमान के कारण ही वह मुसलमान कहलाने का पात्र है तथा ईमान पर ही उसकी मुक्ति निर्भर है। अतः आवश्यक है कि बच्चे को प्रारम्भ से ही ईमान के नियम तथा शरीअत के स्तम्भों से परिचित कराया जाये।

जब बच्चा समझदार हो जाये तो उसे आस्था के नियमों को शिक्षा दी जाये तथा उसे बताया जाये कि मुसलमान होने के लिये अल्लाह तआला के अस्तित्व एवं उसकी विशेषताओं पर रसूलों पर फरिश्तों पर आसमानी किताबों पर कब्र के दण्ड पर मरने के बाद पुनः जीवित होने पर न्याय दिवस पर स्वर्ग तथा नरक पर, इसी प्रकार छिपी हुई अन्य वस्तुओं पर आस्था (विश्वास) रखना आवश्यक है।

पुनः उसे इस्लामी स्तम्भों में से नमाज़, रोज़ा, ज़कात तथा हज की शिक्षा दी जाये तथा साथ ही साथ शरीअत के व्यवहारिक तथा चारित्रिक आदेशों एवं नियमों की जानकारी दी जाये। हाकिम के एक कथन में है कि बच्चों को सर्वप्रथम लाइलाहा इल्लल्लाह ईश्वर एक है सिखाओ

क्योंकि तौहीद (एकेश्वरवाद) का इस्लम में अति महत्व है, तथा इसके बिना भक्तों की उपासना का महत्व नहीं, और न ही अल्लाह के यहां उसके व्यवहार का कोई मूल्य है।

इसके पश्चात बच्चों को हलाल हराम (वैध-अवैध) की शिक्षा देनी चाहिये तथा अल्लाह तआला के बताए हुए मार्ग के अनुपालन का सुझाव देना चाहिए ताकि बच्चों को धार्मिक आदेशों की जानकारी हो तथा उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने की आदत डालें।

सात वर्ष की उम्र में बच्चे को नमाज़ का आदेश दिया जाये, यदि १० वर्ष की उम्र में नमाज़ न पढ़ें तो मारकर पढ़ाया जाये तथा उनका बिस्तर अलग कर दिया जाये।

प्रारम्भ से ही बच्चों को नबी स० उनके परिवार वालों तथा सहाबा किराम रज़ियल्लाहो अन्हुम से प्रेम लगाव, एवं उनके सम्मान का पाठ पढाना तथा कुरआन पढ़ने का पाबन्द बनाना चाहिए। इस्लामी इतिहास में भी उनकी रूचि उत्पन्न करना आवश्यक है कि उन्हें अनुमान हो सके कि किस प्रकार दीन धर्म उन तक पहुचा तथा दूसरों तक पहुचाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। बच्चों के जीवन में कुरआन करीम का पढ़ना तथा याद करना एवं व्यवहार शिष्टाचार के उपदेश के महत्व पर सभी मुस्लिम प्रशिक्षण विशेषज्ञों ने बल दिया है।

इस्लाम की व्याख्या से यह मालूम होता है कि प्रत्येक बच्चा स्वभाविक रूप से ईमान तथा एकेश्वरवाद सफाई एवं पवित्रता पर जन्म लेता है, परन्तु जन्मोपरान्त घर तथा वातावरणा से प्रभावित होकर मार्ग पर चलने लगता है।

बच्चे के जीवन में समाज तथा वातावरण के प्रभाव के इस महत्व के उपरान्त उन माता पिता को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए

इस प्रकार माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को नास्तिक तथा अश्लील पुस्तकों, तथा इस्लाम विरोधी दृष्टिकोण एवं आन्दोलनों से सुरक्षित रखें ताकि उनका ईमन बचा रहे तथा उनके हृदय में धर्म का सममन एवं प्रेम स्थापित रहे।

**(शेष पृष्ठ १७ का)**

अब्दुल्लाह इबने अब्बास का विचार है कि इनकी संख्या सात थी, जो तुर्की के नगर नसीबैन से आए थे। (देखिए इब्ने कमसीर ७/२७२) और यह घटना भी नखला में घटी, क्योंकि वह एक ऐसा स्थान है जहां पानी है, जिसके कारण वहां पड़ाव डालना सरल होता है। इन दो घटनाओं के अतिरिक्त भी अनेक घटनाएं घटी हैं, जब जिन्न नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास कुरआन सुनने आया करते थे, और कभी कभी आप स्वयं उनके पास चले जाया करते थे। सहीह रिवायतों से पता चलता है कि इस प्रकार की कोई सात घटनाएं घटी हैं।

इस विषय में और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, परन्तु विस्तार से जिन्न संबंधी विवरण को यहीं विराम दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए मेरी किताब जामिउल कामिल देखें।

''कुरआन की इन्साइक्लोपीडिया'' से

**(मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की प्रेस रिलीज़)**

# आप्रेशन सिन्दूर पर मुकम्मल एकता और व्यवहारिक प्रदर्शन का सहीह और सुनेहरा अवसर आ गया है :

मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफ़ी

नई दिल्ली ६ मई २०२५

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की नज़र में समय और ज़माने का सबसे बड़ा नासूर और संगीन अपराध, इंसानियत के लिये ख़तरनाक घिनावना पाप आतंकवाद है चाहे वह जहाँ हो, जिस ाकल में हो और जिस स्तर पर हो, क्योंकि एक प्राण को नाहक़ मार डालना पूरी मानवता की हत्या है, और फ़ितना व फ़साद का कारण है लेकिन अगर यह आतंकी गतिविधि अवाम और देश के खिलाफ हो और इससे अवाम और देश के अम्न और सुरक्षा पर थोड़ी सी भी आंच आ रही हो तो इसकी ख़तरनाकी और ज़्यादा बढ़ जाती है और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द इसके उन्मूलन को अनिवार्य मानती है।

देश की बहादुर और जांबाज़ सास्त्र सेना और चौकस सुरक्षा संस्थाओं ने इस अत्याचार के अपराधियों और विश्व व आपसी अम्न संधि ा का उलंघन करने वालों पर जो आप्रेशन सिन्दूर शुरू किया है इस पर पूरा देश एकजुट है। और एकता, एकजुटता और राश्ट्रीय सौहार्द के प्रदर्शन का यही सबसे महत्वपूर्ण अवसर है।

अतः हम सेना के साथ पूरी मज़बूती और एकजुटता के साथ खड़े हैं और पुरज़ोर अन्दाज़ में इस बात का समर्थन और अपील करते हैं कि तमाम भारतीय सहीह अर्थों में राश्ट्रीय एकता, एकजुटता और बलिदान की भावना से लैस होकर इन हालात का डट कर मुकाबला करें और अम्न व सुरक्षा की दुआ करें और कोई ऐसी बात हर्गिज़ न करें जिससे राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द को छति पहुंचती हो।


## इस्लाहे समाज

### खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम.......................

पिता का नाम..............

स्थान.......................

पोस्ट आफिस..............

वाया........................

तहसील.....................

जिला........................

पिन कोड..................

राज्य का नाम.............

मोबाइन नम्बर.............

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताः**अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6**

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

(प्रेस रिलीज़)

# मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्यसमिति के सत्र में पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निन्दा, सऊदी अरब के क्षेत्र में परिस्थितियों को रूटीन पर लाने के प्रयासों की प्रशंसा

नई दिल्ली १० मई २०२५

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी की अध यक्षता में मर्कज़ी जमीअत की कार्यसमिति का सत्र आयोजित हुआ जिस में देश के अधिकांश राज्यों से कार्यसमिति के सदस्यगण, राज्य इकाइयों के पदधारी और विोश आमंत्रित सदस्यों ने बड़ी तादाद में प्रति भाग लिया।

सत्र से संबोधित करते हुए मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने क़ुरआन व हदीस का अनुसरण, एकता, परहेगज़गारी, भाईचारा, अच्छे आचरण और मध्यमार्ग की अहमियत और सार्थकता पर प्रकाश डाला और साम्प्रदायिक सौहार्द, मानव-मित्रता और इस्लाम की बहुमूल्य और उज्जवल शिक्षाओं से देश बंधुओं को परिचित कराने की आवश्यकता पर विशेष रूप ज़ोर दिया हर तरह के आतंकवाद, अशान्ति, धार्मिक नफ़रत और उत्तेजना की कड़े शब्दों में निन्दा की और समुदाय को संयम, हिम्मत, मनोबल और बुद्धिमत्ता के साथ बेहतरीन समुदाय होने का कर्तव्य निभाने का उपदेश दिया।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली ने अपने स्वास्थ के बेहतर न होने के बावजूद सत्र में प्रतिभाग लिया और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्यकरदगी और कांफ्रेन्स की रिपोर्ट पेश की जिसकी सदस्यों ने पुष्टि की और मौलाना के स्वास्थ के बेहतर होने पर हर्ष व्यक्त किया। इसके बाद मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के कोषाध्यक्ष हाजी वकील परवेज़ ने जमीअत व कांफ्रेन्स के हिसाबात पेश किये। जिनपर हाउस ने संतुष्टि व्यक्त की। इस सत्र में मानवता, राष्ट्र, व समुदाय और विश्व समस्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव और क़रारदाद पास हुए। जिन में पहलगाम में आतंकी हमले की निन्दा और आप्रेशन सिंदूर पर और सेना से मुकम्मल एकजुटता और एकता व्यक्त की गई। इसी तरह से सत्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और झड़पों को ख़तम करने, क्षेत्र में शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने के लिये सऊदी अरब के प्रयासों की सराहना की। इसके अलावा विश्व समुदाय से इसराईल के द्वारा निर्दोश बच्चों की सामूहिक हत्या और नरसंहार पर रोक लगाने और इस्राईल को विश्वकानून का पाबन्द बनाते हुए फलस्तीन के वासियें के अधिकारों की सुरक्षा, पुर्नवास और राहती सामान को सुनिश्चित बनाने की अपील की गई है।

❑❑❑